



2/1

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं०-०७/२०१६-१७

राम पुकार सिंह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
8-3-18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद राम पुकार सिंह वगैरह ने अंचल अधिकारी, धनरूआ के अतिक्रमण वाद सं० ०४/२०१२-१३ में दिनांक १७.१२.२०१६ को पारित आदेश के विरुद्ध Bihar Public land Encroachment Act के धारा-११ के अंतर्गत दिनांक १०.०१.२०१७ को अतिक्रमण अपील दाखिल किया। वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनने की तिथि ०३.०२.२०१७ निर्धारित की गई।</p> <p>अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक ०३.०२.२०१७ से ०६.०५.२०१७ तक लगातार ०५ (पांच) तिथियों पर अपीलकर्ता को अनुपस्थित रहने पर अंतिम अवसर देते हुए, अगली तिथि २७.०५.२०१७ निर्धारित किया गया। पुनः अपीलकर्ता २७.०५.२०१७ से ०८.०३.२०१८ तक लगातार ०८ (आठ) तिथियों पर अपीलकर्ता अनुपस्थित हैं, अर्थात् अपील आवेदन दाखिल करने के बाद एक बार भी अपीलकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपील संचालन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है।</p> <p>अपीलकर्ता को वाद में अभिरुचि नहीं रहने के कारण अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </div> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </div> </div>	